न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—57 / 2017(जीसीएमएस नम्बर 2017 / 00043)

01. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण,
02. संतोष पुत्र लक्ष्मीनारायण, समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी कोकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती कमला पत्नी कैलाश,
02. श्रीमती रमसी पत्नी बृजमोहन,
03. श्रीमती प्रभाती पत्नी प्रभूदयाल,
04. श्रीमती सीता पत्नी प्रहलाद, जाति ब्राहम्ण, निवासी करणगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर।
05. श्रीमती शारदा पत्नि बाबूलाल,
06. श्रीमती कैला पत्नि मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी भक्तों की ढाणी, तहसील लालसोट जिला दौसा।
07. श्रीमती लल्ली पत्नि सत्यनारायण,
08. श्रीमती नेहना पत्नि मुरारीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी पालडी तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।
09. सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा।
10. प्रकाश पुत्र राधेश्याम,
11. विकास पुत्र राधेश्याम,
12. श्रीमती रतना पत्नि स्व. राधेश्याम,
13. राधामोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण,
14. राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी कोकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री उमेश गौड एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से

दिनांकः—23.07.2024

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट के यहॉ नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 20.12.2012 वाके ग्राम दौलतपुरा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट द्वारा स्वीकार फरमाकर तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड की गई थी जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 29/13 प्रकरण उनवानी राधामोहन बनाम श्रीमती कमला प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2017 द्वारा निरस्त फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 17.06.2013 की पुष्टि की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया बिना जैर अपील निर्णय दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है जो विधि प्रक्रिया एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.08.2016 द्वारा प्रकरण को पक्षकार उपस्थित नही रहने एवं बार–बार आवाज दिलाने पर भी उपस्थित नही होने के कारण अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई थी जिसके सम्बन्ध में किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र बाजदायरी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया था उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.08.2016 को सेटासाईड फरमाये बिना ही जैर अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 04.08.2017 को पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित हुए थे उसके बावजूद भी अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र अधीनस्थ न्यायालय से जारी नही हुए और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पीठ पीछे दिनांक 28.08.2017 को निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लागयत 8 द्वारा तहसीलदार लालसोट के समक्ष तथ्यों को छिपाया गया है एवं उनके द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट के समक्ष प्रस्तुत वाद श्रीमति कमला बनाम राधामोहन के सम्बन्ध में तथ्यों को छिपाया है और अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर अपने पक्ष में अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रतिपादित सिद्धान्तों में यह तय किया गया है कि नियमित वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही को स्थगित फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने कथन किया है ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा भूमि विवादग्रस्त के मृतक सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार नही कर केवल पुत्रों के नाम ही स्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया था जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एवं पक्षकारान के बयानादि लेकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि भूमि विवादग्रस्त के खातेदार स्व. लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटेलाल की मृत्यु पश्चात् पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण पर मृतक खातेदार के सजरा खानदान में पांच पुत्र एवं आठ पुत्रीया है अंकित करते हुए उनके नाम विरासत का नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से पुत्रीयों का नाम हटाते हुये केवल पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण संख्या 234 स्वीकार किया गया था जिसकी जानकारी होने पर उक्त नामान्तरकरा की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा सभी पक्षकारान को सुनने एवं बयानादि लेने के पश्चात् एवं प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही मृतक खातेदार के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अंतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2017 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।